प0 सं0–14 / डी0एल0ए0 (बी0आर0बी0सी0एल0)–औरंगाबाद–234 / 12– 123 / रा0,पटना–15, दिनांक–15/01/2013

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
भू–अर्जन निदेशालय
बिहार, पटना

अधिघोषणा

तारीखः– 2012

सं0.. आर0

चूकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि गॉव–**एकघरा**, **थाना–56**, परगना–**कुटुम्बा**, थाना–**नवीनगर**, जिला– **औरंगाबाद** में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात **नवीनगर थर्मल पावर परियोजना (बी0आर0बी0सी0एल0)** के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त गॉव **एकघरा** के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम–वेश जो **11.265834** एकड़ के बराबर होता है और जिसकी अधिकृत खेसरा सं0 एव चौहद्दी निम्न प्रकार हैः–

अधिकृत खेसरा सं0– **अंश**– 8, 19, 31, 41, 128, 252, 277, 285, 289, 301, 303, 317, 318, 322, 324, 350, 1/365, 128/362

उत्तरः– खेसरा सं0 6, 25, 368, 40, 125, 285, 281, 286, ग्राम सिवाना केरका, 300, 291, 318, 321, 284, 316

दक्षिणः– खेसरा सं0 13, 15, 17, 30, 42, 43, 362, 280, 324, 283, 290, 337, 302, 324, 318, 319, ग्राम सिवाना पिरौंटा

पूरबः– खेसरा सं0 27, 17, 32, 33, 53, 127, 282, 324, 288, 291, 299, 304, 315, 321, 325

पश्चिमः– खेसरा सं0 9, 18, 7, 24, ग्राम सिवाना धुंधुआ, 253, 280, 287, 288, 302, 306, 323, 282, 277

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो ले लिए जायेंगें, यह घोषणा अधिनियम 1,1894 की धारा 6 और अधिनियम 18,1894 को धारा 3 के खण्ड (1) के उपबंधो के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बंध हो।

भूमि का नक्शा भू–अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

4/12

समाहर्त्ता
औरंगाबाद।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0 / –
सरकार के अवर सचिव।

कृ0पृ0उ0

ज्ञा0 सं0–14/डी0एल0ए0 (बी0आर0बी0सी0एल0)–औरंगाबाद–234/12–123 /रा0,पटना–15, दिनांक–15/01/2013

प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ (सी0डी0 सहित) दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अधिघोषणा की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, समाहरणालय, औरंगाबाद को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 3. आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 4. समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता तथा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

14/1/13

(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।